

जनजातीय कल्याण के लिये वित्तपोषण

यह संपादकीय 07/05/2024 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित “ [बजट और आदवासी: क्या यह विकास या राजनीति के बारे में है?](#)” पर आधारित है। लेख में केंद्रीय बजट 2025-2026 में जनजातीय कल्याण के लिये वित्तपोषण में ऐतिहासिक 46% वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें पीएम जनमन, DA-JGUA और एकलव्य स्कूलों पर जोर दिया गया है। हालाँकि, अपर्युक्त धन, संसाधनों का वचिलन और वसिथापन जैसी चुनौतियाँ गंभीर चिंताएँ बनी हुई हैं।

प्रलिमिस के लिये:

[केंद्रीय बजट 2025-26](#), [पीएम जनमन](#), [एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय](#), [अवैध खनन](#), [GI टैग रजिस्ट्री](#), [आदवासी कल्याण](#), [वन धन योजना](#), [ट्राइफेड](#), [आयुर्वेद](#), [स्वदेश दर्शन योजना](#), [राष्ट्रीय शिक्षा नीति](#), [राष्ट्रीय स्वास्थ्य मशिन \(NHM\)](#), [पोषण अभियान](#), [पीएम वशिवकरमा योजना](#), [एक जिला एक उत्पाद \(ODOP\) पहल](#)।

मेन्स के लिये:

भारत के लिये जनजातीय समुदायों का महत्त्व, भारत में जनजातीय समुदायों के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दे।

[केंद्रीय बजट 2025-26](#) ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय को आवंटन में 46% की वृद्धि के साथ [आदवासी कल्याण](#) के लिये अभूतपूर्व प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। बजट में तीन प्रमुख पहलों को प्राथमिकता दी गई है- [कमजोर आदवासी समूहों के लिये पीएम जनमन](#), [व्यापक विकास के लिये DA-JGUA](#) और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिये [एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय](#)। बढ़ा हुआ बजट भारत के आदवासी समुदायों के लिये एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, लेकिन महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं- [अपर्युक्त धन और संसाधनों के वचिलन से लेकर वसिथापन-संचालित विकास परियोजनाओं तक](#), जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये आवंटन प्रभावी आदवासी कल्याण के लिये ज़मीन पर वास्तविक बदलाव में तब्दील हों।

भारत के लिये जनजातीय समुदायों का क्या महत्त्व है?

- **भारत की जैव विविधता और वन संरक्षण के संरक्षक:** आदवासी अपने पारंपरिक ज्ञान और सतत प्रथाओं के माध्यम से **वनों, वन्यजीवों और जैव विविधता को संरक्षित करने** में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
 - वे **वनों की कटाई, अवैध खनन और अवैध शिकार** के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करते हैं, तथा पारस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करते हैं।
 - ISFR, 2019 के अनुसार देश का लगभग **60%** वन क्षेत्र **मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा** जैसे आदवासी राज्यों में है।
- **समृद्ध सांस्कृतिक और भाषाई विरासत:** भारत के जनजातीय समुदाय **विविध भाषाओं, कला रूपों, लोककथाओं और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित करते हैं**, जिससे राष्ट्रीय पहचान समृद्ध होती है।
 - उनकी परंपराएँ, त्यौहार और हस्तशिल्प पर्यटन और रचनात्मक अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।
 - **GI टैग रजिस्ट्री** से पता चलता है कि **गोंड पेंटिंग (मध्य प्रदेश) और पट्टचित्र (ओडिशा)** जैसे कई आदवासी कला रूपों को भौगोलिक संकेत (GI) का दर्जा प्राप्त हुआ है, जिससे आर्थिक क्षमता में वृद्धि हुई है।
- **भारत की आर्थिक और कृषि विविधता के लिये महत्त्वपूर्ण:** आदवासी लोग **कृषि, लघु वनोपज (MFP) संग्रहण और पारंपरिक शिल्प** में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिससे भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मज़बूत होती है।
 - वे **लाख, तेंदू पत्ते, बाँस और औषधीय जड़ी-बूटियों के प्रमुख उत्पादक हैं**, फरि भी मूल्य निर्धारण और बाज़ार पहुँच में शोषण का सामना करते हैं।
 - **ट्राइफेड** के अनुसार, जनजातीय लोग अपनी वार्षिक आय का **20-40%** लघु वनोपज से प्राप्त करते हैं।
 - **वन धन योजना** का लक्ष्य देश भर में **50,000 वन धन विकास केंद्र** स्थापित करना है, जिससे लगभग **10 लाख आदवासी उद्यमियों** को लाभ मिलेगा।
- **भारतीय लोकतंत्र में महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव:** **104 मिलियन से अधिक** की आबादी (**जनगणना 2011**) के साथ, आदवासी एक महत्त्वपूर्ण मतदाता समूह हैं, जो राज्य और राष्ट्रीय चुनावों को प्रभावित करते हैं।
 - **झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे आदवासी बहुल राज्यों** में चुनावी राजनीति में उनकी भूमिका स्पष्ट है।
 - शासन में जनजातीय लोगों का बढ़ता प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है कि उनकी सामाजिक-आर्थिक चिंताओं का प्रभावी ढंग से समाधान

किया जाए।

- भारत की पहली आदवासी राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू की नियुक्ति राष्ट्रीय नेतृत्व में बढ़ते आदवासी प्रतिनिधित्व को दर्शाती है।
 - इसके अलावा, एक ऐतिहासिक कदम के तहत, **ग्रेट नकीबार की शोमपेन जनजाति** ने पहली बार 2024 के आम चुनाव में मतदान किया।
- **जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और सतत विकास के लिये आवश्यक: आदवासियों के पास जलवायु अनुकूलन, जल संरक्षण और सतत कृषि** का गहन पारंपरिक ज्ञान है, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने में महत्वपूर्ण है।
 - उनकी **स्वदेशी जल संचयन विधियाँ, जैव विविधता संरक्षण प्रथाएँ, तथा आपदा सहनीयता तकनीकें** आधुनिक स्थिरता रणनीतियों के लिये शिक्षा प्रदान करती हैं।
 - यूनेस्को ने माना है कि स्वदेशी ज्ञान प्रणालियाँ बदलती जलवायु का अवलोकन करके जलवायु कार्रवाई पर सतत विकास लक्ष्य 13 की प्राप्ति में योगदान देती हैं।
 - उदाहरण के लिये यह पाया गया है कि **जिाबो कृषि (नगालैंड)** जैसी **जनजातीय जल संरक्षण तकनीकें** भूजल पुनर्भरण में सुधार करती हैं तथा सतत कृषि को बढ़ावा देती हैं।
- **भारत की पारंपरिक चिकित्सा और आयुर्वेद का ज्ञान:** जनजातीय समुदायों के पास **हर्बल चिकित्सा, आयुर्वेद और नृजातीय-वनस्पति** पद्धतियों का विशाल ज्ञान है, जो भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में योगदान देता है।
 - **वैकल्पिक चिकित्सा प्राकृतिक उपचारों और औषधीय पौधों** के उपयोग से समर्थित है, हालांकि ये संसाधन अति-व्यावसायिकरण के कारण खतरे में हैं।
 - **आयुष और जनजातीय स्वास्थ्य मशिन** जैसी सरकारी पहलों को **जनजातीय ज्ञान संरक्षण और उचित लाभ-साझाकरण** सुनिश्चित करना चाहिये।
 - यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में **जनजातीय और जातीय समुदाय** अपने स्वास्थ्य देखभाल के लिये **8,000** से अधिक पौधों की प्रजातियों का उपयोग करते हैं।
- **सतत पर्यटन और पारिस्थितिकी पर्यटन के लिये महत्वपूर्ण:** जनजातीय क्षेत्रों में भारत के कुछ सर्वाधिक जैवविविध परदृश्यों समृद्ध हैं, जो उन्हें सतत और पारिस्थितिकी पर्यटन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
 - उनके **सांस्कृतिक उत्सव, हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजन पर्यटकों** को आकर्षित करते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।
 - **स्वदेश दर्शन योजना** के अंतर्गत स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने और जनजातीय क्षेत्रों में आजीविका को समर्थन देने के लिये **1,000 जनजातीय गृहस्थलों** को बढ़ावा दिया जा रहा है।

भारत में जनजातीय समुदायों के समक्ष प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **भूमि हस्तांतरण और वसिथापन:** औद्योगिक परियोजनाओं, खनन और संरक्षण पर्याप्तों के कारण जनजातीय समुदायों को बड़े पैमाने पर वसिथापन का सामना करना पड़ रहा है, जिससे पारंपरिक आजीविका का नुकसान हो रहा है।
 - **वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006** के उचित कार्यान्वयन के अभाव में भूमि के स्वामित्व से वंचित किया जाता है, जिससे वे और अधिक हाशिये पर चले जाते हैं।
 - **जनजातीय मामलों के मंत्रालय** के अनुसार, केवल **50% FRA दावों** को मंजूरी दी गई है, जिससे लाखों आदवासी भूमिहीन हो गए हैं।
 - इसके अलावा, कभी-कभी पुनर्वास नीतियाँ अपर्याप्त रहती हैं, जिससे वे अत्यधिक गरीबी में चले जाते हैं।
 - वर्ष 2022 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि **मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से वसिथापित सैकड़ों आदवासियों** को जून 2022 तक पुनर्वास और मुआवजा नहीं दिया गया।
- **खराब स्वास्थ्य और कुपोषण:** जनजातीय आबादी **उच्च मृत्यु दर, कुपोषण और स्वास्थ्य देखभाल की कमी** से पीड़ित है, जो दूरदराज के क्षेत्रों में खराब बुनियादी ढाँचे के कारण और भी बदतर हो जाती है।
 - तपेदिक, **सकिल सेल एनीमिया** और कुपोषण की व्यापकता चिंताजनक होने के बावजूद, सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल अप्रभावी हैं।
 - सकिल सेल रोग भारत में जनजातीय आबादी में व्यापक रूप से फैला हुआ है, जहाँ **अनुसूचित जनजातियों में 86 में से लगभग 1 जन्म लेने वाले बच्चे सकिल सेल रोग से ग्रसित** हो जाते हैं।
 - इसके अलावा, एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले वर्ष से कम आयु के **30.8% आदवासी बच्चे** कुपोषण से पीड़ित हैं, जिसके कारण उनका कद छोटा रह जाता है और वे कमजोर हो जाते हैं।
- **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव और EMRS कार्यान्वयन में कमी:** भाषा संबंधी बाधाएँ, अपर्याप्त सुविधाएँ, तथा उच्च शिक्षा में पढ़ाई छोड़ने की उच्च दर, आदवासी छात्रों के लिये समस्याएँ हैं।
 - गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए गए **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS)** निर्माण में देरी और शिक्षकों की कमी का सामना कर रहे हैं।
 - इसके अलावा, **हाल ही में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिये भरती प्रक्रिया के केंद्रीकरण** तथा हृदी प्रवीणता की अनिवार्यता ने भी चिंता उत्पन्न कर दी है।
- **आजीविका संकट:** पारंपरिक जनजातीय व्यवसाय जैसे कि **झूम खेती, वनोपज संग्रहण और हस्तशिल्प, वनों की कटाई, कानूनी प्रतिबंधों और बाजार शोषण** के कारण कम हो रहे हैं।
 - मनरेगा और अन्य रोजगार कार्यक्रमों से कुछ मदद मिलती है, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण वास्तविक लाभ कम हो जाता है तथा मज़दूरी भी कम रहती है।
 - ऋण प्राप्त करने में नरिंतर कठिनाई के कारण, कई लोग बना लाइसेंस वाले साहूकारों के कर्ज के जाल में फंसने को मज़बूर हो जाते हैं।
 - हालिया रिपोर्टों में कहा गया है कि वर्ष 2022-23 में **अनुसूचित जनजातिसमूह के केवल 12.3% लोगों** के पास वेतन रोजगार था, जो इस

मुद्दे की गंभीरता को उजागर करता है।

- **जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण का प्रभाव:** वनों और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर जनजातीय समुदाय **जलवायु परिवर्तन** और पर्यावरणीय क्षरण से अत्यधिक प्रभावित होते हैं।
 - **अनियमित वर्षा** के कारण कृषि उपज और वनोपज की उपलब्धता कम हो गई है।
 - **वनरोपण और संरक्षण को बढ़ावा देने वाली** सरकारी नीतियाँ अक्सर आदवासियों की भागीदारी सुनिश्चित किये बिना उन्हें वसिस्थापित कर देती हैं।
- **संवदेशी संस्कृति की हानि और भाषाई हाशिए पर जाना:** शहरीकरण, संस्थागत समर्थन की कमी और मुख्यधारा की नीतियाँ सभी आदवासी भाषाओं और सांस्कृतिक वरिष्ठ के तेज़ी से विलुप्त होने में योगदान दे रही हैं।
 - **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020** मातृभाषा शिक्षा पर जोर देती है, लेकिन आदवासी भाषाओं में पाठ्यपुस्तकों, शिक्षकों और नीति-स्तरीय मान्यता का अभाव है।
 - डिजिटल और जनसंचार माध्यमों का प्रसार इस सांस्कृतिक दुर्बलता को और बढ़ा रहा है।
 - **यूनेस्को ने 197 भारतीय भाषाओं को 'लुप्तप्राय' घोषित किया है।** कई अलखित भाषाएँ विशेष रूप से विलुप्त होने के खतरे में हैं
- **मानवाधिकार उल्लंघन और सुरक्षा मुद्दे:** आदवासी लोग अक्सर राज्य द्वारा किये जाने वाले वसिस्थापन, पुलिस ज्यादातियों और माओवादी उग्रवाद के शिकार बन जाते हैं और सरकार और चरमपंथी समूहों के बीच फंस जाते हैं।
 - **संवैधानिक संरक्षण** के बावजूद आदवासियों के खिलाफ भूमि हड़पने, जबरन बेदखली और हिसा की घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं। **आदवासी कार्यकर्ताओं के खिलाफ UAPA जैसे कानूनों का दुरुपयोग और अपर्याप्त कानूनी सहायता न्याय** को दुर्राम बनाती है। नज्जि मलिशिया और कॉरपोरेट भूमि अधिग्रहण के बढ़ने से आदवासियों की कमजोरी और भी बदतर हो गई है।
 - NCRB के 2021 के आँकड़ों के अनुसार, **अनुसूचित जनजाति (ST)** समुदायों के खिलाफ अपराधों में **9.3%** की वृद्धि हुई है।

जनजातीय कल्याण और विकास के लिये भारत सरकार की क्या पहल हैं?

- **वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006:** आदवासियों को व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार प्रदान करता है, उन्हें भूमि और संसाधनों के प्रबंधन के लिये सशक्त बनाता है।
- **पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक वसिस्तार) अधिनियम (पेसा), 1996:** ग्राम सभाओं को भूमि और संसाधनों पर निर्णय लेने की शक्तियाँ देकर जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासन को मज़बूत करता है।
- **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS):** दूरदराज के क्षेत्रों में आदवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिये 740 विद्यालय स्वीकृत किये गए हैं।
- **प्रधानमंत्री जनजातीय आदवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन):** विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के लिये स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **वन धन विकास योजना (VDVY):** लघु वनोपज (MFP) के मूल्य संवर्द्धन और विपणन को बढ़ावा देती है।
- **लघु वन उपज (MFP) के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) -** वन उपज एकत्र करने वाले आदवासियों के लिये उचित मूल्य सुनिश्चित करता है।
- **जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल - 'स्वास्थ्य' -** जनजातीय स्वास्थ्य संकेतकों पर नज़र रखने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म।

जनजातीय कल्याण और विकास को बढ़ाने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 का प्रभावी कार्यान्वयन:** व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों (IFR और CFR) की समय पर मान्यता सुनिश्चित करने से आदवासियों को अपनी भूमि और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करने में सशक्त बनाया जा सकेगा।
 - **भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण (जैसा कि बजट 2025-25 में परकिलपति है), फास्ट-ट्रैक FRA न्यायाधिकरणों** की स्थापना, और दावा सत्यापन में स्थानीय ग्राम सभाओं को शामिल करने से प्रक्रिया में तेज़ी आ सकती है।
 - **वन अधिकार अधिनियम और मनरेगा** के बीच संबंध को मज़बूत करने से वनरोपण और संरक्षण में स्थायी रोज़गार उपलब्ध हो सकता है।
- **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) का वसिस्तार और सुदृढीकरण:** EMRS (2025-26) के लिये 7,088 करोड़ रुपए का बजट आवंटन एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन बुनियादी ढाँचे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
 - **जनजातीय भाषा की पाठ्यपुस्तकें, डिजिटल शिक्षण प्लेटफॉर्म और व्यावसायिक प्रशिक्षण** शुरू करने से शैक्षिक परिणामों में सुधार हो सकता है।
 - **EMRS को पीएम दक्ष योजना** से जोड़ने से शैक्षणिक शिक्षा के साथ-साथ कौशल आधारित प्रशिक्षण भी सुनिश्चित होगा।
- **मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों और आयुष एकीकरण के माध्यम से जनजातीय स्वास्थ्य सेवा में सुधार:** जनजातीय क्षेत्र उच्च कुपोषण, मातृ मृत्यु दर और स्थानिक रोगों से पीड़ित हैं, जिसके लिये वकिंद्रीकृत स्वास्थ्य सेवा समाधान की आवश्यकता है।
 - दूरदराज के क्षेत्रों में **टेलीमेडिसिन के साथ मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिकों** की तैनाती से स्वास्थ्य देखभाल संबंधी अंतराल को कम किया जा सकता है।
 - **जनजातीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मशिन (NHM) और पोषण अभियान** को मज़बूत करने से शिशु और मातृ स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार हो सकता है।
- **लघु वन उपज (MFP) के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के माध्यम से सतत आजीविका सुनिश्चित करना:** जनजातीय आजीविका तँदू पत्ते, महुआ और शहद जैसे लघु वन उपज (MFP) पर निर्भर करती है, फरि भी बाज़ार में शोषण के कारण संकटपूर्ण बिक्री होती है।

- अधिक लघु वनोपजों के लिये MSP कवरेज का वसतिार करने तथा वन धन विकास केंद्रों (VDVK) को मज़बूत करने से जनजातीय लोगों की आय में वृद्धि हो सकती है।
- समुदाय-नेतृत्व वाली वन उपज सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने से उचित मूल्य सुनिश्चित होगा तथा बचौलियों पर निर्भरता कम होगी।
 - प्रधानमंत्री वशिवकरमा योजना को वन धन विकास केंद्रों के साथ एकीकृत करने से मूल्य संवर्द्धन और जनजातीय उद्यमिता को और अधिक बढ़ावा मलि सकता है।
- स्वयं सहायता समूहों और माइक्रोफाइनेंस के माध्यम से जनजातीय महिलाओं को सशक्त बनाना: जनजातीय महिलाओं को आर्थिक रूप से हाशिये पर रहने और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, जिसके लिये लक्षित वित्तीय समावेशन नीतियों की आवश्यकता होती है।
 - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मशिन (NRLM) के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों (SHG) को मज़बूत करने से ऋण और उद्यमिता के अवसरों तक उनकी पहुँच में सुधार होगा।
 - ब्याज मुक्त ऋण, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम और डिजिटल बैंकिंग तक पहुँच प्रदान करने से आदवासी महिलाएँ आर्थिक रूप से सशक्त होंगी।
 - स्वयं सहायता समूहों को एक जिला एक उत्पाद (ODOP) पहल से जोड़ने से जनजातीय हस्तशिल्प के लिये बाज़ार तक पहुँच सुनिश्चित हो सकती है।
- राजनीतिक प्रतिनिधित्व और जनजातीय शासन को बढ़ावा देना: आरक्षणित सीटों के बावजूद, उच्च नरिणय लेने वाले नकियायों में जनजातीय लोगों का प्रतिनिधित्व कम है, जिससे नीति कार्यान्वयन प्रभावित होता है।
 - PESA (पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्रों में वसतिार) अधिनियम, 1996 को मज़बूत करने से ग्राम सभाओं को नरिणय लेने में सशक्त बनाया जाएगा।
 - बजट आबंटन में जनजातीय लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करके विकास योजना का विकेंद्रीकरण करने से शासन की दक्षता में सुधार होगा।
 - जनजातीय नेताओं के लिये क्षमता नरिमाण कार्यक्रमों को लागू करने से उनकी राजनीतिक एजेंसी को बढ़ावा मलि सकता है।
- भूमि वसतिापन और पुनरवास चुनौतियों का समाधान: खनन, बाँध परियोजनाओं और संरक्षण के कारण जनजातीय वसतिापन भूमहीनता और सामाजिक-आर्थिक अस्थिरता को जन्म देता है।
 - जबरन बेदखली को रोकने के लिये भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 का सख्ती से कर्यान्वयन आवश्यक है।
 - वसतिापित आदवासियों के लिये भूमि बैंक स्थापित करना, वैकल्पिक आजीविका की पेशकश करना तथा उचित पुनरवास सुनिश्चित करना वसतिापन के प्रभावों को कम कर सकता है।
- आर्थिक विकास के लिये जनजातीय पर्यटन का विकास: जनजातीय क्षेत्रों में पारसिथितिकि पर्यटन और सांस्कृतिक पर्यटन से स्थायी रोज़गार उत्पन्न हो सकता है तथा जनजातीय वसतिार को संरक्षित किया जा सकता है।
 - सामुदायिक स्वामित्व वाले जनजातीय पर्यटन उद्यमों को विकसित करने से नजीी संचालकों के बजाय आदवासियों को प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित होगा।
 - होमस्टे, हस्तशिल्प केंद्रों और नरिदेशित इको-टूर को बढ़ावा देने से सांस्कृतिक सथरिता सुनिश्चित करते हुए आय में वृद्धि हो सकती है। स्वदेश दर्शन योजना को जनजातीय पर्यटन सर्किटों के साथ एकीकृत करने से ज़मिमेदार पर्यटन को बढ़ावा मलिगा।
- जनजातीय गाँवों के लिये विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा माइक्रोग्रिड: कई जनजातीय क्षेत्र अभी भी ग्रिड से बाहर हैं या वहाँ वदियुत आपूर्ति अवशिषवसनीय रहती है, जिससे शक्ति, स्वास्थ्य सेवा और आजीविका प्रभावित होती है।
 - सामुदायिक स्वामित्व वाले सौर, पवन या बायोमास माइक्रोग्रिड स्थापित करने से स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध हो सकती है, तथा बाहरी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम हो सकती है।
 - आदवासियों को सौर पैनल रखखाव, बायोगैस उत्पादन और बैटरी भंडारण में प्रशिक्षण देने से स्थानीय रोज़गार उत्पन्न होगा। ये माइक्रोग्रिड जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों के लिये कोल्ड स्टोरेज को भी वदियुत प्रदान कर सकते हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा में सुधार होगा।
- वैश्विक और घरेलू बाजारों के लिये जनजातीय सुपरफूड विकसित करना: जनजातीय क्षेत्रों में पोषक तत्वों से भरपूर सुपरफूड जैसे बाज़रा, जंगली शहद, बाँस चावल और मोरगिा पाए जाते हैं, जिनकी वैश्विक स्तर पर उच्च मांग है।
 - जनजातीय सुपरफूड्स के लिये भौगोलिक संकेत (GI) प्रमाणन बनाने से प्रीमियम मूल्य नरिधारण और बाज़ार पहुँच सुनिश्चित हो सकती है।
 - खेत से लेकर मेज तक जनजातीय समूह स्थापित करने से बचौलिये समाप्त हो जाएंगे और प्रत्यक्ष लाभ में वृद्धि होगी।
 - इन उत्पादों को ONDC और जैविक खाद्य ब्रांडों जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के साथ जोड़ने से पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ जनजातीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मलि सकता है।

नषिकर्ष:

भारत ने जनजातीय देखभाल पर बजट में वृद्धि कर समावेशी विकास की दशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है। फरि भी, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा, शैक्षिक कमियाँ और भूमि वसतिापन जैसे मुद्दे अभी भी मौजूद हैं। समुदाय-संचालित परियोजनाओं और कुशल कार्यान्वयन के माध्यम से इन अंतरालों को कम करना आवश्यक है। तभी जनजातीय समुदाय समान प्रगति और वास्तविक सशक्तीकरण का अनुभव कर पाएँगे।

Q. वभिनिन सरकारी पहलों के बावजूद, भारत के आदवासी समुदाय सामाजिक-आर्थिक हाशिये पर बने हुए हैं। आदवासी विकास में प्रमुख चुनौतियों का वशिषण करने और उनके सतत् और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिये एक समग्र रणनीतिका सुझाव दीजिये।

सवलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

??????????:

प्रश्न. नमिनलखिति युगमें पर वचिर कीजयि: (2013)

जनजाति	राज्य
1. लबि (लमिबु)	सकिक्मि
2. कार्बी	हमिचल प्रदेश
3. डोंगरयि कोंध	ओडशिा
4. बोंडा	तमलिनाडु

उपर्युक्त युगमें में से कौन-सा सही सुमेलति है?

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2 और 4
- (c) केवल 1, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (a)

प्रश्न. भारत में वशिष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के संबंध में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2019)

- 1. PVTG 18 राज्यों और एक केंद्रशासति प्रदेश में नविस करते हैं।
- 2. स्थरि या कम होती जनसंख्या PVTG स्थति निर्धारण के मानदंडों में से एक है।
- 3. देश में अब तक 95 PVTG आधिकारकि तौर पर अधसूचति हैं।
- 4. PVTGs की सूची में ईरूलर और कोंडा रेड्डी जनजातयि शामिल की गई हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा सही है?

- (a) 1, 2 और 3
- (b) 2, 3 और 4
- (c) 1, 2 और 4
- (d) 1, 3 और 4

उत्तर: (c)